


अधिकारी  
न्यायालय - उपखण्ड - रायपुर

मु.न. 1/2016 श्रीमती भगवती बनाम श्री रीतलाल वर्मा

27/7/20 पत्रा.पेशा अधिवक्ता अपीलान्त  
न स्वयं अपाधिकार हुए और  
न ही स्वयं अपीलान्त धारित  
हुए न्यायालय में विधिकर रूप  
से रुक-रुक कर कार-कार  
आवाजें लगवाई गईं इसके उपरान्त  
भी अपीलान्त व अधिवक्ता,  
अपीलान्त धारित नहीं हुए  
कारण: अपीलान्त धारित पत्र  
इसी स्वरूप लगे हुए हैं  
कारण पेशी अधिवक्ता किया  
जला है पत्रा. पेशा. अधिवक्ता  
धारित न करने का न ही  
कारण अधिवक्ता इतर है



उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर

न्यायालय  
रायपुर